



OFFICE OF DIVISIONAL FOREST OFFICER, NACHAN FOREST DIVISION, AT
GOHAR, DISTRICT MANDI, HP -175029.
Phone & Fax 01907-250267, e-mail-nachandfo123@gmail.com

No./RK./-----1843

Dated-----31/05/2025
To:- C.F.(T) Mandi

From: DFO Nachan.

Subject :- Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachadhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00) within the jurisdiction of Nachan Forest Division Distt. Mandi. Online proposal no:- FP/HP/Road/18361/2016.

ज्ञापनः

उपरोक्त प्रस्तावना भारत सरकार के पत्र संख्या 8वी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी./172 दिनांक/19.07.2021 जो की अतिरिक्त मुख्य सचिव वन हिमाचल प्रदेश सरकार को सम्बोधित तथा नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) हि0 प्र0 सरकार टालैंड शिमला के साथ-साथ इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में लगाई गई शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्ण कर ली गई है व मदवार सूचना जो प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त हुई है आपके कार्यालय को निम्न प्रकार से शर्तवार प्रेषित की जा रही है:-

सैधांतिक स्वीकृति की शर्तों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर:-

क्र0स0	प्रस्तावित स्वीकृति की शर्तें	मंजूर/नामंजूर
1	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 6.7854 हे0 ND331 Ropari, Pandoh Range, Nachan Forest Division, Distt. Mandi, में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतू मु0 रु0 2138412/- UTR No. RBI0462534788880 दिनांक 14.02.2025 के तहत कैम्पा के खाता संख्या 150706118361127 तथा departmental charges

	<p>कृषि से बर्चें।</p>	<p>on CA & R. Plan amounting to Rs. 394478/- ई चालान संख्या B24A104960 दिनांक 06.01.2025 के तहत सरकारी कोष में जमा करवा दी गई है। प्राप्त राशि से वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 6.7854 हे० ND331 Ropari, Pandoh Range, Nachan Forest Division, Distt. Mandi, में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
(ख)	<p>राज्य शासन द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही कम्पार्टमेंट/खसरा क्रमांक की जानकारी एवं प्रत्येक कम्पार्टमेंट/खसरा में वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।</p>	<p>शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
(ग)	<p>वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>	<p>शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
(घ)	<p>राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में Online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने की तिथि तक calculate किया जाएगा एवं एफ.सी.ए., 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही के अनुसार सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करेगी।</p>	<p>राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप Penal NPV की निर्धारित राशि मु० 3158807/- जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने की तिथि तक calculate किया गया है को UTR No. RBI0462534788880</p>

		दिनांक 14.02.2025 के तहत कैम्पा के खाता संख्या 150706118361127 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Online web portal के माध्यम से जमा करवा दिए गए हैं इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतय सहमत है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5द्य-3/2007- एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3927 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस संबध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5द्य-3/2007- एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण से 3.3927 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध

		<p>वर्तमान मूल्य मु0 3628400/- राशी UTR No. RBI0462534788880 दिनांक 14.02.2025 के तहत कैम्पा के खाता संख्या 150706118361127 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करवा दी गई है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
(ख)	<p>विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
6.	<p>एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।</p>	<p>एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र पहले ही Online web portal में अपलोड कर दिया गया है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
7	<p>माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।</p>	<p>शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>
8	<p>प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार यथासंभव, सड़क के दोनो किनारों</p>	<p>शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।</p>

	पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	
9	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जाएंगे।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 67 से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई) पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण फंड पोर्टल के माध्यम UTR No. RBI0462534788880 दिनांक 14.02.2025 के तहत कैम्पा के खाता संख्या 150706118361127 में जमा करवा दी गई है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार,	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का

	पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	
9	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जाएंगे।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 67 से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई) पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण फंड पोर्टल के माध्यम UTR No. RBI0462534788880 दिनांक 14.02.2025 के तहत कैम्पा के खाता संख्या 150706118361127 में जमा करवा दी गई है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
15	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार,	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का

	प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर forward/ackward bearings अंकित हो।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
21	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेदारी होगी।	शर्त स्वीकार्य है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
24	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर (https://parivesh.nic/in/) अपलोड कर दी जाएगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्त।

Divisional Forest Officer
Nachan Forest Division,
At Gohar-175029.

Endst. No. 1844 Dated Gohar, the 31/05/2025
Copy w.r.t. his office letter No. SRJ-WA-(Forest Case)/2025-872 dated 19.05.2025 is forwarded to the Executive Engineer, HPPWD, Seraj at Janjehli, Tehsil Thunag, District Mandi, (H.P.) for information and necessary action please.

Divisional Forest Officer,
Nachan Forest Division,
At Gohar-175029.

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	वन भूमि की विधिक स्थिति नहीं बदली जायगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/S


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Sarajati, Jammu, H.P.

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है।

C/S


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
THACHDHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli,
Saraj at Janjehli.

Place:-

Date:-

UNDERTAKING

विषय - : Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachadhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00) within the jurisdiction of Nachan Forest Division Distt. Mandi. Online proposal no:- FP/HP/Road/18361/2016.

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी./172 दिनांक/19.07.2021.

क्र०स०	शर्तें	मंजूर/नामंजूर
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 6.7854 हे० ND331 Ropari, Pandoh Range, Nachan Forest Division, Distt. Mandi, में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मु० रु० 2138412/- UTR No. RBI0462534788880 दिनांक 14.02.2025 के तहत कैम्पा के खाता संख्या 150706118361127 तथा departmental charges on CA & R. Plan amounting to Rs. 394478/- ई चालान संख्या B24A104960 दिनांक 06.01.2025 के तहत सरकारी कोष में जमा करवा दी गई है। प्राप्त राशि से वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 6.7854 हे० ND331 Ropari, Pandoh Range, Nachan Forest Division, Distt. Mandi, में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।
(ख)	राज्य शासन द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही कम्पार्टमेंट/खसरा कमांक की जानकारी एवं प्रत्येक कम्पार्टमेंट/खसरा में वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त स्वीकार्य है।
(ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त एफ.सी.ए. प्रकरण में लिए गए सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।



DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
3. प्रतिपूरक वनीकरण:		
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात 6.7854 हे० ND331 Ropari, Pandoh Range, Nachan Forest Division, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि के बचें।	यह वन विभाग से सम्बंधित है।
(ख)	राज्य शासन द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही कम्पार्टमेंट / खसरा क्रमांक की जानकारी एवं प्रत्येक कम्पार्टमेंट / खसरा में वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	यह वन विभाग से सम्बंधित है।

(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	यह वन विभाग से सम्बंधित है।
(घ)	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA.1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा एवं एफ.सी.ए., 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही guideline para 1.21 (ii) (c) (d) के अनुसार सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करेगी।	राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA.1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि (UTR दिनांक 31,68,807/- RBI0462534788880) 14/02/2025 को कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा कर दी गयी है जिसमें 12% interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया गया है एवं एफ.सी.ए., 1980 के उल्लंघन पर कार्यवाही guideline para 1.21 (ii) (c) (d) के अनुसार सुनिश्चित कर इस कार्यालय को सूचित करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

4/s



DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:

Executive Engineer, HPPWD, Division, Sarjati, Jalandhar

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, आवश्यकता अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जायेंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Sarai, Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:- Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P. (Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:- भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :- उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
	5 . शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ .सी . (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ .सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3927 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ) .सी.Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ .सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.21 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की 36,28,400/- राशि (UTR RBI0462534788880) दिनांक 14/02/2025 को जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र और ई चालान सलग्न किया गया है।

(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई होगी जोकि अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण देने के लिए बाध्य होगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।
-----	---	---

C/S

Sml

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

J. J.
Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj, Jajnah, Jhli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
6.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र पहले से ही अपलोड और जमा किया गया है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

4/8

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Distt Mandi

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
7.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है अतः राज्य सरकार मा.उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गयी है अतः राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

4/s

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:-

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Saraj at Janjehli.

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
8.	प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार यथासंभव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार यथासंभव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढ़ाया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:-

Date:-

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT MANDI, H.P.

Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli,
Saraj at Janjehli.

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-


भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021


महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
9.	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमयन साईनेज लगाये जाएंगे। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलभ है।

Place:-
Date:-


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Distt Mandi

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P. (Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
10.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 67 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 67 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में करेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत भी जमा कर दी गयी है। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

4/s

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:-

Executive Engineer, HPPWD, Division, Saraj, at, Janjehi

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P. (Online Proposal no. FP/HIP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
11.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:-
Date:-


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjohli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021


महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
12.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल(https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 90,41,365/- (प्राप्त राशि 9,041,370) की धन राशि (UTR RBI0462534788880) के माध्यम से दिनांक 14/02/2025 को (https://parivesh-nic-in/) में क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जा चुके हैं। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:-
Date:-


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
13.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति को प्राप्त किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

Place:-

Date:-

4s
DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
14.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा। जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

Place:-
Date:-


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli,
Saraj at Janjehli.

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
15.	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलभ है।

CS

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,

Executive Engineer, meer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
16.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्तीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन अवश्य दिया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलाह है।

Place:-

Date:-

4/8

 DIVISIONAL FOREST OFFICER,
 NACHAN FOREST DIVISION,
 GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


 Executive Engineer,
 HPPWD Division,
 Sarajat Janjehli
 Sarajat Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
17.	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward / Backward bearings अंकित हों।	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

Place:-
Date:-

4/s
DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli,
Saraj at Janjehli

Subject:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
18.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

els


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी/एच.पी./06/105/2019/एफ.सी/172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
19.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित बिलकुल नहीं की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

Place:-

Date:-

4s
DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन यदि किया जायेगा तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघनकर्ता पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

cls

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:-

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj, Janjehli

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
21.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित जो भी शर्तें लागू की जाएंगी और उनको पूरा भी किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग्न है।

C/S

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehli

Place:-

Date:-

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे । राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है । इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

C/S


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)

Place:-

Date:-


Executive Engineer,
HPPWD, Division,
Saraj at Janjehli,
Distt. Mandi, H.P.

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति राज्य सरकार / प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह जिम्मेवारी ली जाएगी और पूर्णरूप से पालन किया जायेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

Place:-
Date:-


DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT. MANDI (H.P.)


Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj at Janjehni,
Distt Mandi

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

Subject:-

Diversion of 3.3927 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Thachdhar Naloti road (Kms. 0/0 to 8/00), within the jurisdiction of Nachan Forest Division, Distt Mandi, H.P.(Online Proposal no. FP/HP/Road/18361/2016)

संदर्भ:-

भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश के पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021

महोदय :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, शिवालिक खण्ड, लोंगवुड, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्र० सं० 8बी /एच .पी. /06/105/2019/एफ. सी /172 दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में संदर्भित शर्तों की अनुपालन संख्या आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रही है।

क्र० सं	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	मंजूर /नामंजूर
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमती है। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलग है।

Place:-
Date:-

C/S
DIVISIONAL FOREST OFFICER,
NACHAN FOREST DIVISION,
GOHAR, DISTT MANDI (H.P.)

Executive Engineer,
HPPWD Division,
Saraj Gt, Janieblinjehli